राज्य आयुक्त दिव्यांगजन न्यायालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

25 डी, माता सुंदरी मार्ग, नियर गुरू नानक आई सैंटर, नई दिल्ली–02
दूरभाष सं० 23216001, टैलीफैक्स–23216005
ईमेल : सीओएमडिआईस.दिल्ली@एनआईसी.इन

केस सं० 852/1141/2019/04/2314–2315 दिनांक – **20.05.2019**

के संदर्भ में

श्रीमान राहुल सिंह पुत्र श्री स्व. मोहिंदर सिंह,
मकान संख्या 1088,
पुष्प विहार, सेक्टर–7,
नई दिल्ली–110017 **............................शिकायतकर्ता**

बनाम

महाप्रबंधक,
बी.एस.ई.एस. यमुना पावर लिमिटेड,
शक्ति किरन बिल्डिंग,
कड़कड़डूमा,
दिल्ली –110032 **...............................प्रतिवादी**

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता जो कि 46 % अस्थि विकलांग है, ने उनके ई–मेल दिनांक 11.04.2019 के माध्यम से बताया कि उन्होंने दिनांक 25.03.2019 को बिजली के कनेक्शन के लिए अनुरोध संख्या 008003799591 के तहत आवेदन किया था। दिनांक 28.03.2019 को बिजली विभाग के अधिकारी ने साइट विजिट कर औपचारिकताएं पूरी करने को कहा और उन्होंने दिनांक 04.01.2019 को सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी। परन्तु दिनांक 11.04.2019 तक संबंधित अधिकारियों को बार–बार सूचित करने के बावजूद बिजली का कनेक्शन नहीं लगा।

2. शिकायतकर्ता को पत्र दिनांक 22.04.2019 के माध्यम से बताया गया कि वह बी.एस.ई.एस. यमुना पावर लिमिटेड में शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) या उच्च अधिकारी से शिकायत करें और उसकी एक प्रति इस न्यायालय को 15 दिनों के अन्दर भेजें।

3. दिनांक 13.05.2019 तक जब शिकायतकर्ता से कोई सूचना नहीं मिली तो उनके द्वारा दिए गए मोबाइल नम्बर (91+ 9560462679)पर संपर्क किया गया और उन्होंने बताया कि इस न्यायालय के पत्र दिनांक 22.04.2019 के साथ उन्होंने बी.एस.ई.एस. यमुना पावर लिमिटेड के अधिकारियों से संपर्क किया तो उनका बिजली का कनेक्शन तत्काल लगा दिया गया।

4. उपरोक्त के मध्यनजर शिकायत का निस्तारित किया जाता है।

5. आज दिनांक 20.05.2019 इस न्यायालय व राज्य आयुक्त द्वारा मोहर के साथ जारी किया गया ।

THAKUR DATT DHARIYAL

Digitally signed by THAKUR DATT DHARIYAL
Date: 2019.07.05 16:26:31 -07'00'

(टी. डी. धारियाल)

राज्य आयुक्त दिव्यांगजन